[This question paper contains 10 printed pages.]

**7932** *Your Roll No. .....*

**LL.B. / II Term** **E**

Paper LB-203 : LAW OF CRIMES

*Time : 3 Hours* *Maximum Marks : 100*

*(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)*

*Note :– Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.*

*टिप्पणी :- इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेज़ी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।*

*Attempt any* **Five** *questions.*
**All** *questions carry equal marks.*

*कुल* **पाँच** *प्रश्नों के उत्तर लिखिए।*
**सभी** *प्रश्नों के अंक समान हैं।*

1. (a) What are the essentials of the 'First Information Report' and how it carries greater evidentiary value than the statements of the witnesses recorded by the police during investigation.

(10)

P.T.O.

(b) Discuss whether a police officer is bound to register a FIR when a cognizable offence is made out or he has an option, discretion or latitude of conducting some kind of preliminary enquiry before registering the FIR. What is the remedy that is available to the victim in case of refusal of a police officer to register the FIR. (10)

(क) 'प्रथम इत्तिला रिपोर्ट' के आवश्यक तत्व क्या हैं और इसका साक्ष्यिक मूल्य अन्वेषण के दौरान पुलिस द्वारा रिकार्डिड साक्षियों के बयान से किस प्रकार अधिकतर है ?

(ख) विवेचन कीजिए क्या कोई पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध होने के समय प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृीत करने के लिए बाध्य है अथवा उसके पास कोई विकल्प, विवेकाधिकार है या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रजिस्ट्रीकृत करने से पहले किसी प्रकार की प्राथमिक जांच करने की स्वच्छंदता है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को रजिस्ट्रीकृत करने में पुलिस अधिकारी के इंकार के मामलें में पीड़ित को क्या उपचार उपलब्ध हैं ?

2. (a) W's father in law, aged 72 yrs and who has suffered heart attack once; mother in law, aged 65 yrs and a patient of asthma and brother-in-law, aged 15 yrs and an outstanding shooter are

arrested for assault (a bailable offence) and murder (a non bailable offence) of W. All the accused apply for bail. They belong to a highly connected family of bureaucrats. Can they be released on bail. What factors should be considered while disposing of their bail applications. (10)

(b) M, a former minister, pleads that he has been falsely implicated in case of receiving 'kickbacks'. M, apprehending his arrest moves an application for anticipatory bail. Describe the factors which should be kept in mind while considering the application of M for anticipatory bail. (10)

(क) W के 72 वर्ष की आयु के श्वसुर, जिन्हें एक बार हृदय आघात हो चुका है, 65 वर्ष की आयु की सास जो अस्थमा की रोगी हैं और 15 वर्ष की आयु का साला, जो एक उत्कृष्ट शूटर है, को W पर हमले (एक जमानती अपराध) और हत्या (गैर-जमानती अपराध) के लिए गिरफ्तार किया गया है। सभी अभियुक्तों ने जमानत हेतु अर्जी फाइल की हैं। उनका सम्बन्ध उच्च रसूख रखने वाले नौकरशाहों के परिवार से है। क्या उन्हें जमानत पर रिहा किया जा सकता है ? उनकी जमानत की अर्जियों का निपटान करते समय किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए ?

(ख) पूर्व मंत्री M अभिवाक् करता है कि उसको घूस लेने के मामले में मिथ्या रूप में आलिप्त किया गया है। अपनी गिरफ्तारी की आशंकावश वह प्रत्याशित जमानत हेतु अर्जी पेश करता है। प्रत्याशित जमानत हेतु M की अर्जी पर विचार किए जाते समय जिन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए उनका वर्णन कीजिए।

3. (a) Explain the difference between cognizable and non cognizable offences. Describe the procedure and powers of a police officer while investigating cognizable offences. (10)

(b) Z, an accused made a confession before a magistrate, who gave him no warning of the consequences of making a confessional statement. The magistrate made no notes but listened to the accused with great attention. Later, the magistrate dictated, to the best of his recollection, a confessional statement to his steno and put his signature to the typed statement.

Can the accused be convicted on the basis of such a confessional statement alone. Describe the procedure for recording of the confessional statement admissible in the trial. (10)

(क) संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों के बीच भिन्नता को स्पष्ट कीजिए। संज्ञेय अपराधों का अन्वेषण करते समय पुलिस अधिकारी की प्रक्रिया तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए।

(ख) अभियुक्त Z ने मजिस्ट्रेट के सम्मुख संस्वीकृति की। मजिस्ट्रेट ने उसे संस्वीकृति वाला बयान देने के परिणामों की कोई चेतावनी नहीं दी। मजिस्ट्रेट ने कोई नोट्स नहीं लिए पर इसके बजाय अभियुक्त को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। बाद में मजिस्ट्रेट ने अपनी पूरी याददाश्त से संस्वीकृति वाले बयान को अपने स्टेनों का डिक्टेट कराया तथा टंकित बयान पर अपने हस्ताक्षर कर दिए।

क्या अभियुक्त को एकमात्र संस्वीकृति बयान के आधार पर दोषसिद्ध किया जा सकता है ? विचारण में ग्राह्य संस्वीकृति बयान के रिकार्डिंग हेतु प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

4. (a) Describe in detail, with the help of judicial decisions, the basic features of a fair trial as given under the Code of Criminal Procedure, 1973. (10)

(b) "Regulating the nature of interaction between the accused and the police authorities is at the crux of a developed criminal justice system." Elucidate while highlighting the provisions of arrest and

the safeguards afforded to the arrested persons, in the light of recent judicial and legislative developments. (10)

(क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत यथाप्रदत्त ऋजु विचारण की बुनियादी विशेषताओं का सविस्तार वर्णन न्यायिक विनिश्चयों की सहायता से कीजिए।

(ख) "अभियुक्त और पुलिस प्राधिकारियों के बीच अन्तःक्रिया के स्वरूप का विनियमन विकसित दांडिक न्याय प्रणाली का मर्म है।" हाल के न्यायिक और वैधानिक घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तारी के उपबंधों और गिरफ्तार व्यक्तियों को दिए गए रक्षोपायों पर प्रकाश डालते समय खुलासा कीजिए।

5. (a) What is the justification and applicability of the concept of 'Plea Bargaining' in the Indian context. Is it different from compounding of offences ? (10)

(b) Explain the essentials of a judgement delivered in a criminal court with the help of the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973. (10)

(क) भारत के प्रसंग में 'प्ली बारगेनिंग' की संकल्पना का औचित्य और अनुप्रयोज्यता क्या है ? क्या यह अपराधों के शमन किए जाने से भिन्न है ?

(ख) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के सुसंगत उपबंधों की सहायता से दंड न्यायालय में दिए गए निर्णय के आवश्यक तत्वों को स्पष्ट कीजिए ।

6. (a) Critically evaluate the role of the Criminal Court and the prosecutor in the withdrawl of prosecution in the light of the decided case of *Abdul Karim* v. *State of Karnataka* (2000) 8 SCC 710. (10)

(b) Discuss the inherent powers of the High Court in relation to quashing of FIR and review of judgement. (10)

(क) *अब्दुल करीम* बनाम *स्टेट ऑफ कर्नाटक* (2000) 8 एस सी सी 710 के विनिश्चित केस को ध्यान में रखते हुए अभियोजन वापसी में दंड न्यायालय और अभियोजक की भूमिका का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए ।

(ख) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अपास्त करने और निर्णय के पुनर्विलोकन के बारे में उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों का विवेचन कीजिए ।

P.T.O.

7. (a) Explain 'taking cognizance of an offence by a Magistrate'. When and how a Magistrate takes cognizance of an offence. (10)

(b) What is meant by 'framing of charge' ? Explain the contents of a charge. What is the effect of 'Error in Framing Charge' ? (10)

(क) मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अपराध का संज्ञान लिया जाना - इसको स्पष्ट कीजिए। कोई मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान कब और किस प्रकार लेता है ?

(ख) 'आरोप तय करने' का क्या अभिप्राय है ? आरोप की अन्तर्वस्तु को स्पष्ट कीजिए। 'आरोप तय करने में भूल' का क्या परिणाम निकलता है ?

8. (a) X, rescues Y, an undertrial from Tihar Jail and in so doing causes grievous hurt to W, the warden of Tihar Jail. X is tried and convicted for unlawfully rescuing an undertrial from the legal custody. Subsequently he is tried for causing grievous hurt to W. X argues that the subsequent trial can not proceed in view of the previous conviction.

Examine the argument of X, clearly bringing out the law under S-300 of the Code of Criminal Procedure, 1973. (10)

(b) Write short notes on any **two** of the following :–

(i) Cancellation of bail.

(ii) Powers of a police officer to conduct a search without warrant.

(iii) Difference between 'Discharge' and 'Acquittal'. (5×2=10)

(क) X ने विचारणाधीन Y को तिहाड़ जेल से छुड़ा लिया और ऐसा करने में उसने तिहाड़ जेल के वार्डन W को घोर उपहति कारित की। X का विचारण किया जाता है और उसे विधिक अभिरक्षा से किसी विचारणाधीन को विधि विरुद्धतया छुड़ा लेने हेतु दोषसिद्ध किया जाता है। बाद में उसका W को घोर उपहति कारित करने हेतु विचारण होता है। X दलील देता है कि पूर्ववर्ती दोषसिद्धि की दृष्टि से पश्चातवर्ती विचारण नहीं किया जा सकता।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 300 के अन्तर्गत विधि को स्पष्ट रूप में प्रकाश में लाते हुए X की दलील की जांच कीजिए।

P.T.O.

(ख) निम्नलिखित में से किन्हीं **दो** पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(i) जमानत का रद्दकरण ।

(ii) वारंट बिना तलाश करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्तियां ।

(iii) 'उन्मोचन' और 'दोषमुक्ति' के बीच अन्तर ।